

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

App-A
Grim-I

2

मुकाम

बनाम

नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

सोमोती बनाम तानी देवी

प्रा. पत्र 212 आर. टी. एक्ट

12.11.10 आज प्रा. पत्र द्वारा 212 आर. टी. एक्ट का दफतील
प्रार्थीगण ने अग्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अग्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम
अस्थायी निषेधाज्ञा से बाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी
विवादित छ. सं. 1164/0. 17, 1177/0. 09, 1163/0. 16 वाले ग्राम
राजगढ़ में स्थित है वादीगण को उक्त आराजी से अग्रार्थीगण सबरन
बेदख्त नहीं करें। न. आराजी पर कब्जा करें तथा मुताबिक हिस्सा
कार्य काइत प्रार्थी में किसी प्रकार की रूकावट वी मजाहमत पैदा नहीं
करें। आराजी को जरिये रहन बय आदि के जरिये दीगर जगह मुन्तकिल
नहीं करें। साथ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया

प्रा. पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास
करते हुये अग्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से दिनांक
21.1.10 तक बाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी से
प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें। आराजी को जरिये रहन बय
आदि के जरिये दीगर जगह मुन्तकिल नहीं करें। मोक व रिकार्ड की
यथास्थिति बनाये रहें। साथ में नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध
में उन्हें कोई एतराज हो तो दिनांक 21.1.11 को उपस्थित न्यायालय
होकर पेश करें। दर्ज हों।

उप खण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला-अलवर

11/3/2011 को पेश हो/गिराफतपु माली
रहना /

उप खण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला-अलवर

11/3/2011

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

5/8/25

आज यह पत्रावली इकजार्ड पैसी से पैसा
वहुत उफा वकील जार्ज ने शा. पत्रा 212
नोट पेस में खारीज करने का निवेदन
किया गया। हाजा न्यायालय के पूर्व अधेश
दि 22/09/2011 को शा. पत्रा अस्वीकार
किया जा चुका है। पत्रावली वकील जार्ज
के निवेदन पर नोट पेस में खारीज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से
कम लेकर बाद प्रति मुलकाद सलंजम
है।



Not Filed
3/8/25